


जनपद वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु जनउपयोगी विभागीय योजना का विवरण:-

1. योजना का नाम – समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)

2. सम्बन्धित विभाग का नाम – सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
3. कार्यालयाध्यक्ष का नाम – श्री मुखराम
4. कार्यालय का पता – भूमि संरक्षण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग मुजफ्फरनगर
5. कार्यालय का दूरभाष – 0131-2621294
6. योजना के आरम्भ होने की तिथि – वर्ष 2009-10 से
7. योजना की समाप्ति की तिथि – 2015-16 तक
8. योजना का प्रकार – केन्द्रीय/राज्य/जिला/अन्य – केन्द्रीय/राज्य
9. योजना का संक्षिप्त विवरण – समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय के अर्न्तगत भूमि संसाधन विकास विभाग द्वारा एक वृहद कार्यक्रम है योजना अर्न्तगत कुल वित्तीय प्रावधान का 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 10 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा पोषित है, योजना अर्न्तगत विकास खण्ड बुढाना ग्राम पंचायत, उकावली,रियावली नगला,हुसैनाबाद भनवाडा,टाण्डा माजरा,अटाली, चन्धेडी, इटावा, नगवा, अलीपुर अटेरना, मिण्डकाली, रसूलपुर दभेडी, बसीखुर्द, बैली, टोडा, विकास खण्ड पुरकाजी के ग्राम पंचायत, गोधना, तुगलकपुर, नगला दुहेली, बसेडा विकास खण्ड जानसठ के ग्राम पंचायत कैंडी, निजामपुर, कैलापुर जसमौर, कासमपुर खोला मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आस्था मूलक कार्यक्रम, जल संग्रहण विकास कार्य, आजीविका तथा उत्पादन प्रणाली एवं सूक्ष्म उद्यम कार्य कराने का प्राविधान है, योजना का मुख्य उद्देश्य घटते हुये जल स्तर को यथा सम्भव कम करने हेतु कन्टूरबंधी, पेरिफेरल बॉध, चैक डेम, जल भराव एवं संचय बॉध आदि का निर्माण कराकर वर्षा जल को बेकार बहने से रोककर सतही एवं भूमिगत जल भण्डारण को बढ़ावा देना है जिससे फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हो सके, इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस योजना के अर्न्तगत गरीब, छोटे तथा सीमान्त/सम्पत्ति हीन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, महिलाओं आदि के स्वयं सहायता समूहों के द्वारा आजीविका कार्यकलापों के विकास हेतु 9 प्रतिशत तथा खेतीहर कृषकों के कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये 10 प्रतिशत की धनराशि मात्राकृत है जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक विकास में वृद्धि हो सके।
10. योजना के लिये निर्धारित अर्हता – असिंचित/वर्षा आधारित क्षेत्र।
11. योजना किस वर्ग विशेष के लिये है – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/ अल्पसंख्यक/विकलांग/सामान्य जाति/सीमान्त किसान/बी0पी0एल0/ए0पी0एल0
12. योजना का आवेदन करने की प्रक्रिया –
13. आवेदन पत्र/फार्म प्राप्त करने का स्थान –
14. आवेदन पत्र/फार्म का शुल्क –
15. आवेदन पत्र/फार्म के साथ लगने वाले आवश्यक संलग्नकों का विवरण –
16. यदि आवेदन आन लाईन है तो वेबसाइट का एड्रेस –<http://>
17. योजना के सम्बन्ध में दूरभाष पर जानकारी देने वाले कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम –
मोबाईल नम्बर सहित- भूमि संरक्षण अधिकारी मो0नम्बर-9412867385 एवं अवर अभियन्ता-9412423353
18. योजना के सम्बन्ध में जानकारी/शिकायत करने के सम्बन्ध में विभाग का दूरभाष/टोल फ्री नम्बर/ई मेल – 0131-2621294 / bsaldwrmu-up@nic.in
19. विभाग की वेबसाइट का एड्रेस – <http://upldwr.up.nic.in>


भूमि संरक्षण अधिकारी
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
मुजफ्फरनगर